भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

सं. ए-45011/01/2020-केहिप्रसं./ 1350 दिनांक 24-06-2020

कार्यालय आदेश

कोरना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के मद्देनजर गृह मंत्रालय के दिनांक 06.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/15/2018-ओ.1 द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार सभी कार्यालयों में सभी कार्मिकों को उपस्थिति मैन्युवली हाजिरी रजिस्टर में इन्द्राज करनी आवश्यक है । इसके अतिरिक्त सभी कार्मिकों को पहले से जारी उपस्थिति रोस्टर के अनुरूप कार्यालय में आकर कार्यालयीन कार्यो का निपटान करना है।

प्रायः यह भी देखा गया है कि जिन कार्मिकों की इयूटी रोस्टर के अनुसार लगाई जाती हैं वे उस दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं होते । इस प्रकार से रोस्टर इयूटी का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। चूंकि विभिन्न स्थानों पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर का रखरखाव संबंधित प्रभारी(ब्रांच) अधिकारी द्वारा किया जाता है अतः सभी ब्रांच अधिकारियों को निदेश दिए जाते हैं कि यदि कोई कार्मिक रोस्टर इयूटी के अनुसार कार्यालय में उपस्थिति नहीं होता तो संबंधित के अवकाश खाते से अपेक्षित अवकाश काट दिया जाए ।

अतः केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/उपस्थानों तथा हिंदी शिक्षण योजना के सभी प्रभारी अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रत्येक माह के पहले सप्ताह रोस्टर के अनुसार उपस्थिति की जांच करते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि **"संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा माह में निर्धारित कार्यालय समय का पूर्ण रूप से पालन किया तथा वे निम्नलिखित तिथियों में कार्यालय में उपस्थिति/अनुपस्थिति रहे** । अनुपस्थिति के दौरान लिए गए अवकाश का प्रकार भी उक्त प्रमाण-पत्र में सम्मिलित किया जाए"। उक्त प्रमाण-पत्र के अभाव में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा लिए गए अवकाशों को नियमितीकरण नहीं किया जाएगा।

यह आदेश विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

24/6/20

(राम निवास)

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. सभी उपनिदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता, गुवाहाटी
2. केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद, बेंगलुरु ।
3. उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2 ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
4. उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
5. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केहिप्रसं. नई दिल्ली । कृपया इसे कार्यालय की वेब-साइट पर अपलोड कर दें।
6. सहायक निदेशक (मुख्यालय), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केहिप्रसं. नई दिल्ली ।
7. गार्ड फाईल

सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन (पर्यावरण भवन), केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

7th Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan (Paryavaran Bhawan), C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

दूरभाष / Telephone : 011-24364119, टेलीफैक्स / Telefax : 011-24365089

ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in/वेबसाइट/Website : www.chti.rajbhasha.gov.in.